

अति-आवश्यक

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/1058

दिनांक: 18/4/13

संबंधित प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में वर्ष 2011-12 में वितरित की गई स्कूटियों की व्यय पुनर्भरण के क्रम में ।

विषयान्तर्गत देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2011-12 में आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं को स्वीकृत स्कूटी के रजिस्ट्रेशन, स्थानान्तरण शुल्क एवं बीमा राशि पर किये गये व्यय के पुनर्भरण हेतु बार-बार लिखने के उपरान्त भी निदेशालय को आप द्वारा सूचित नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित महाविद्यालय व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है । यदि वर्ष 2011-12 में आप द्वारा स्कूटी वितरण पर कोई राशि व्यय की गई है तो निम्न प्रारूप में पत्र प्राप्ति के 3 दिवस में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	छात्रा/पिता का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	बीमा पॉलिसी संख्या	व्यय की गई राशि			योग
				रजि0 शुल्क	बीमा शुल्क	स्थानान्तरण शुल्क	



(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/1059

दिनांक: 18/4/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु ।



(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर